भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1197
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में कार्यरत युवाओं का उत्पीड़न

1197. श्री नरेन्द्र कुमारः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशों में कार्यरत युवाओं को संबंधित देश के नियमों और विनियमों की जानकारी के अभाव तथा अन्य कारणों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय दूतावासों द्वारा उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या खाड़ी देशों सहित विभिन्न देशों की जेलों में बड़ी सख्या में भारतीय नागरिक बंद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का भारतीय कामगारों को विदेशों में उनके शोषण से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए नया कानून अधिनियमित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (च) भारतीय मिशनों को विभिन्न कामगारों, विशेष रूप से घरेलू क्षेत्र के कामगारों से खराब कार्य परिस्थितियों, भुगतान न करने या विलंब से वेतन भुगतान करने और चिकित्सा सुविधाओं जैसे अन्य लाभ प्रदान न करने, छुट्टी देने से मना करने या भारत दौरे के लिए निकास/पुनः प्रवेश परमिट प्रदान न करने, अनुबंध पूरा होने के बाद कामगारों को भारत लौटने के लिए अंतिम निकास वीजा प्रदान न करने, नियोक्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार करने आदि की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। प्रायोजकों द्वारा घरेलू नौकरानियों को बंधक बनाने, शारीरिक शोषण करने, छोड़ देने की भी घटनाएं हुई हैं। अधिकांश शिकायतें उन कामगारों से संबंधित होती हैं, जिनके पास वैध रोजगार अनुबंध नहीं होता और भारत से ईसीआर कामगारों की भर्ती के लिए सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से प्रवास किया होता है।

भारत सरकार में विदेशों में कार्यरत युवाओं सहित सभी भारतीय कामगारों की कामकाजी परिस्थितियों की निगरानी करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र है। विदेशों में हमारे मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों से प्राप्त प्रत्येक प्रकार की शिकायत की सक्रिय रूप से निगरानी रखते हैं और

उसका पालन करते हैं। ये शिकायतें विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं जैसे कि आपातकालीन टेलीफोन नंबर, वॉक–इन, ई–मेल, सोशल मीडिया, 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन और ओपन हाउस आदि और उनका समाधान किया जाता है । सरकार ने पीड़ित भारतीय नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए मदद और ई–माइग्रेट जैसे पोर्टल स्थापित किए हैं। भारतीय कामगारों को सभी मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए दुबई (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। खाड़ी देशों में सभी भारतीय मिशनों में समर्पित श्रमिक विंग मौजूद हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय कामगारों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके और उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, का समाधान किया जा सके। किसी उत्प्रवासी से या उसकी ओर से शिकायत प्राप्त होने पर इसे सक्रिय रूप से संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ उठाया जाता है और यदि आवश्यक हो, तो पीड़ित कामगार के कार्यस्थल का दौरा भी किया जाता है। रोजगार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ भी उठाया जाता है।

विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र, संकट की स्थिति में विदेश में भारतीय नागरिकों और उनके आश्रितों को माली हालत के आधार पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ निधि से 641 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग विदेशों में संकट में फंसे 3,46,373 भारतीयों की सहायता के लिए किया गया है।

उपरोक्त के अलावा भावी भारतीय प्रवासी कामगारों को गंतव्य देश की संस्कृति, महत्वपूर्ण श्रमिक कानूनों और क्या करें और क्या न करें के बारे में जागरूक करने के लिए प्रस्थान–पूर्व अनुकूलन प्रशिक्षण (पीडीओटी) प्रदान किया जाता है। उन्हें आईसीडब्ल्यूएफ और प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) जैसी कल्याणकारी योजनाओं और मंत्रालय तथा विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में स्थापित शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में भी अवगत कराया जाता है।

मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य देशों की जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की संख्या 9309 (अनुबंध क) है। कई देशों में प्रचलित मजबूत निजता कानूनों के कारण स्थानीय अधिकारी रिहा किए गए कैदियों के बारे में जानकारी साझा नहीं करते हैं। हालाँकि विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की रिहाई और स्वदेश वापसी का मुद्दा विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों द्वारा संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है। विदेश स्थित मिशन/केंद्र भी जांच और न्यायिक कार्यवाही को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करते हैं। सरकार इस मुद्दे पर अन्य देशों के साथ कोंसली और अन्य परामर्शों के दौरान भी चर्चा करती है। इसके अलावा सरकार, विदेश स्थित अपने मिशनों/केंद्रों के माध्यम से और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान, विदेशों में भारतीय कैदियों की माफी/सजा कम करने के मुद्दे को भी उठाती है और अनुसरण करती है।

जीसीसी देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के आधार पर कामगारों की सलामती और सुरक्षा से संबंधित मामले संबंधित देशों के साथ संयुक्त कार्य समूहों की नियमित बैठकों के दौरान उठाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से संबंधित मेजबान सरकारों के साथ भी नियमित रूप से उठाया जाता है।

*****

अनुबंध– क

क्र.सं.	देश	विदेशी जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या
1	अफ़ग़ानिस्तान	8
2	अंगोला	1
3	अर्जेंटीना	1
4	आर्मीनिया	16
5	ऑस्ट्रेलिया	66
6	ऑस्ट्रिया	9
7	बहरीन	310
8	बांग्लादेश	47
9	बेलारूस	2
10	बेल्जियम	10
11	भूटान	57
12	ब्रूनई दारुस्सलाम	1
13	कंबोडिया	2
14	कनाडा	23
15	चिली	1
16	चीन	177
17	कांगो (किंशासा)	11
18	कोट डी आइवर	7
19	क्यूबा	1
20	साइप्रस	28
21	चेक गणराज्य	1
22	डेनमार्क	1
23	मिस्र	1
24	इथियोपिया	5
25	फ्रांस	41
26	जॉर्जिया	26
27	जर्मनी	77
28	यूनान	23
29	ग्वाटेमाला	1
30	हंगरी	10
31	इंडोनेशिया	23
32	ईरान	44
33	इजराइल	6
34	इटली	165
35	जमैका	1
36	जापान	4
37	जॉर्डन	35
38	केन्या	2

39	कुवैत	410
40	किर्गिज़स्तान	3
41	लाओस	3
42	लेबनान	6
43	लाइबेरिया	1
44	लिथुआनिया	2
45	मलावी	1
46	मलेशिया	388
47	मालदीव	11
48	माल्टा	1
49	मॉरीशस	9
50	मेक्सिको	1
51	मोज़ाम्बिक	6
52	म्यांमार	24
53	नेपाल	1242
54	न्यूज़ीलैंड	11
55	नाइजीरिया	2
56	ओमान	128
57	पाकिस्तान	46
58	फिलिपींस	32
59	पोलैंड	7
60	पुर्तगाल	7
61	कतर	611
62	आयरलैंड गणराज्य	4
63	कोरियाई गणतन्त्र	5
64	रोमानिया	2
65	रूस	7
66	रवांडा	2
67	सऊदी अरब	2383
68	सेनेगल	4
69	सर्बिया	6
70	सिंगापुर	117
71	दक्षिण अफ्रीका	2
72	स्पेन	31
73	श्रीलंका	55
74	स्वीडन	2
75	स्विट्ज़रलैंड	2
76	तजाकिस्तान	2
77	तंजानिया	3
78	थाईलैंड	41
79	टोगो	2
80	त्रिनिदाद और टोबैगो	2

81	संयुक्त अरब अमीरात	1998
82	यूनाइटेड किंगडम	280
83	यूएसए	157
84	उज़्बेकिस्तान	2
85	वियतनाम	1
86	यमन	1
87	ज़िम्बाब्वे	2
	कुल	9309

*****